

कार्यालय तहसील सरकपुर जिला अलावर (राजस्थान)

प्रकरण सं. 86/06

व्यारा- DALRAN

निर्णय दि 6/11/2

निर्णय
—X—

पत्रावली प्रस्तुत हुई। शेष में अन्ततः निम्नानुसार है कि पत्थारी एका
अदीरा ने शा. आशय की सिटि शा. न्यायालय में प्रस्तुत की है कि सन् 2062
में उसके ग्राम अदीरा के आ. ख. नं. $\frac{244}{606}$ $\frac{99}{818}$ किस्म जमीन कांड/पाका
में से 911 व 21113 रकमें पर श्री अमरसिंह सोमप्रकाश पिठ शमासिंह आठ अद्वि
जे नाजायज आतिशय कर लिया है। प्रकरण की रजिस्ट्र कर अप्रार्थीगण को जप
ओरिस DALRAN 1956 के अन्तगत जारी कर लक किया गया। जिस पर अप्रार्थी
अपकील उपर हुआ। तथा जवान ओरिस फेरा किया। अप्रार्थी ने जकव दि
24/2/06 को इस न्यायालय को अवगत कराया कि उक्त प्रकरण अव्य हेतु सक्षम न्या
में विचारार्थीन है, तथा उपखण्ड न्यायालय में OR 3 CPC का प्राप्य विचारार्थीन
दोना अवगत कराया है, अपत्र 13/12/2004 की प्रति प्रस्तुत की गई, तथा दवे की
जकव 1/11/96 प्रस्तुत की गई। अप्रार्थीगण ने 20/4/17 को न्यायालय में उपस्थित
द्वेकर अपत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ख. नं. 99 रकवा 8.18 वके ग्राम
अदीरा वगत अप्रार्थीगण के द. मा. न्यायालय RAN अलावर में अपील स्वीकार की
पत्र दि 18/4/13 को निस्तारण हो चुका है। तथा न्यायालय उपखण्ड आधीकारी कपुर
का निर्णय व डिट्टी दि 26/10/12 निस्त की गई है।

वह के दौरान अपकील अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर
वगत प्रकरण को खरिज किये जाने की कार्यवाही हेतु न्यायालय को निवेदन किया
किन्तु प्रकरण में आ. ख. नं. $\frac{99}{818}$ किस्म राजकीय चारागाह भूमि है। तथा अभी
भी राजकीय चारागाह भूमि की है। तथा अप्रार्थी अमरसिंह, सोमप्रकाश पिठ शमासिंह
आधन पिठ अदीरा को आराजी सुतनाजा से बेकवल किया जाता है। तथा लगान का
10 गुणा 58/- अफिलनरूपसे शास्त्रि आरोपित की जाती है। TRA व पत्थारी एका को
फैली शही की कसमी व डूली हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैलील शुमार होकर व नम्बर
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे 27/11/17 सुनाराया
6/11/2017
TAR KUMAR
का (अलावर) राज.

11. दि. सं. 4 के पृष्ठ सं. 13... वग व. 1
दि 20/11/18... वग व. 58
की कावलों को तह

24/11/17
तहसील सरकपुर जिला अलावर
तहसील सरकपुर